4829-556 IV-17 (29)

INDIA NON JUDICIAL

Government of Jharkhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-JH02282965704450O
Certificate Issued Date	:	09-Feb-2016 05:20 PM
Account Reference	:	NONACC (BK)/ jhbobbk02/ RAMGARH/ JH-RG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-JHJHBOBBK02029186681993410
Purchased by	:	JOINT SECRETARY MINES AND GEOLOGY RANCHI JHARKHAND
Description of Document	:	Article 5 Agreement or memorandum of an Agreement
Property Description	:	AGREEMENT
Consideration Price (Rs.)	:	100 (One Hundred only)
First Party	:	JOINT SECRETARY MINES AND GEOLOGY RANCHI JHARKHAND
Second Party	:	D D C RAMGARH
Stamp Duty Paid By	:	JOINT SECRETARY MINES AND GEOLOGY RANCHI JHARKHAND
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

.....Please write or type below this line.....

1/9/2/16

उपविकास आयुक्त
रामगढ़

संयुक्त सचिव
खान एवं भूतत्व विभाग
झारखण्ड, राँची।

XM 0000693141

Scanned with CamScanner

P.S. Ramgarh

Trust deed

St-100=00
Aen 30 =00
(E) 2000 =00
2030 =00

नियम 21 ... स्टाम्प अधिनियम (इंडियन स्टाम्प एक्ट) 1899 के ... 1 यदि 1 के ... की अधीन ... प्रमुख ... पूर्णतः अधिकृत ...

रामगढ़ जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट विलेख

यह विलेख आज ......15...... दिनांक ......03...... वर्ष 2016 को निष्पादित किया गया।

झारखण्ड सरकार, खान एवं भूतत्व विभाग के संयुक्त सचिव/~~उप सचिव~~, खान एवं भूतत्व विभाग के मुख्यालय, राँची द्वारा राज्य सरकार की ओर से एक पक्ष, जिन्हें "व्यवस्थापक" कहा जायेगा – प्रथम पक्ष

नीचे अंकित पदधारी/न्यासकर्त्ता या उसके उत्तरदायी, जब कि इस विषय के संबंध में अन्यथा अभिव्यक्त न किया गया है, के पक्ष में विलेख निष्पादित किया जाता है – द्वितीय पक्ष

(क) न्यास परिषद :–

नाम-	शासी परिषद में पदनाम निर्दिष्ट
i. उपायुक्त–	अध्यक्ष
ii. उप विकास आयुक्त–	सदस्य सचिव
iii. आरक्षी अधीक्षक–	सदस्य
iv. संबंधित जिलान्तर्गत प्रादेशिक वन प्रमण्डल के वरीयतम वन प्रमण्डल पदाधिकारी–	सदस्य
v. जिला शिक्षा पदाधिकारी–	सदस्य
vi. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–	सदस्य
vii. संबंधित उप निदेशक, खान–	सदस्य
viii. संबंधित उप निदेशक, भूतत्व–	सदस्य
ix. संबंधित जिला खनन पदाधिकारी–	सदस्य
x. अध्यक्ष जिला परिषद के प्रतिनिधि–	सदस्य
xi. झारखण्ड स्मॉल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि–	सदस्य
xii. माननीय सांसद के प्रतिनिधि–	सदस्य
xiii. जिला अन्तर्गत सभी माननीय विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि–	सदस्य
xiv. दो प्रमुख खनन पट्टाधारी, जिसे शासी परिषद द्वारा नामित किया जाएगा–	सदस्य
xv. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के निर्वाचित प्रमुख एवं उप प्रमुख–	सदस्य
xvi. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के निर्वाचित मुखिया एवं उप मुखिया–	सदस्य

चूँकि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 की धारा– 9 B अन्तर्गत, जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट का गठन एक गैर लाभकारी संस्थान के रूप में किया जाना है, ताकि खनन से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों–परिवार के हितों व लाभों की रक्षा करने का कार्य राज्य द्वारा यथा निर्देशित ढंग से किया जा सके। एवम्

चूँकि इस उद्धेश्य की पूर्ति हेतु व्यवस्थापक ने यह विनिश्चिय किया है कि एक गैर लाभकारी न्यास का गठन राज्य सरकार अन्तर्गत किया जाए ताकि गठित न्यास अन्तर्गत प्राप्त कोष से खनन क्षेत्र में रहने वाले खनन प्रभावित लोगों का समुचित विकास राज्य सरकार द्वारा विहित निदेर्शित ढ़ंग से किया जा सके। जिला खनिज फाउण्डेंशन ट्रस्ट बनाए जाने के उद्धेश्य से न्यासी के व्यवस्थापक द्वारा किया जा सके। जिला ... 1000/– (एक हजार) रुपये से प्रारंभिक पुरिनिर्धारण किया जाता है।

Stamp Paid-
Fees-
Anchal-
Rent-
Fees Paid-

अब यह न्यास विलेख इस प्रकार है–

निर्धारित न्यूनतम मूल्य मार्गदर्शिका ... में वार्डवार/...

1. परिभाषा एवं निर्वचन

Scanned with CamScanner

इस न्यास विलेख में यदि संदर्भ की आवश्यकता भिन्न नहीं हो तो निम्नांकित शब्दों का अर्थ निम्न रूप से माने जाऐंगे :–

i. अधिनियम का अर्थ है :– खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957

ii न्यासी द्वारा नियुक्ति अंकेक्षक/चार्टर्ड अकाउण्टेंट में व्ययस्थापक द्वारा प्राधिकृत या महालेखाकार झारखण्ड द्वारा नियुक्त अंकेक्षक भी समझे जाएगें।

iii. 'लाभुक' का अर्थ है खनन से प्रभावित क्षेत्र एवं व्यक्ति।

iv. अंशदान का अर्थ है :– (क) जिला में अवस्थित खनन पट्टाधारक, जिन्हें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद खनिज के पट्टे या पूर्वेक्षण–सह–खनन पट्टा प्राप्त हुआ है, उनसे अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुरूप स्वामिस्व के अतिरिक्त स्वामिस्व के 1/3 (एक तिहाई) राशि से अनाधिक राशि प्राप्त की जायगी।

(ख) वैसे पट्टाधारक, जिन्हें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के पूर्व खनन पट्टा प्राप्त है, उनसे स्वामिस्व के अतिरिक्त पट्टे के वर्गीकरण के अनुसार यथा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित स्वामिस्व/दर से अनाधिक राशि इस कोष में प्राप्त की जायगी।

v. अंशदान कोष का अर्थ है, जिला में अवस्थित खनन पट्टाधारक या पूर्वेक्षण–सह–खनन पट्टाधारक से अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुरूप अंशदान प्रतशत में स्वामिस्व के 1/3 (एक तिहाई) राशि से अनाधिक प्राप्त राशि का कोष।

vi. 'जिला दण्डाधिकारी' का अर्थ है, राजस्व प्रशासन का जिला में प्रमुख अधिकारी जिसे समाहर्त्ता या उपायुक्त के नाम से भी नाम निर्दिष्ट हों।

vii. 'जिला पंचायत का अर्थ है, जिला परिषद या कोई अन्य प्राधिकार, जिसे संविधान की अनुसूची V एवं VI में समान दायित्व उन क्षेत्रों में दिया गया है।

viii. 'शासी परिषद' का अर्थ है, सभी न्यासी की परिषद, जो जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट में है और जिसे न्यास परिषद के रूप में जाना जायेगा।

ix. 'अध्यादेश' का अर्थ है "खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015"

x. "न्यास का अर्थ" है, (जिला का नाम) जिला खनिज फाण्डेशन ट्रस्ट, जो व्यवस्थापक द्वारा बनाया गया है।

xi 'वर्ष' का अर्थ है पहली अप्रैल, से प्रारम्भ एवं 31 मार्च को अगले वर्ष समाप्त होने वाला वर्ष या अश, जो 31 मार्च को समाप्त होगा।

(2). एकवचन में प्रयुक्त शब्द में बहुवचन एवं बहुवचन में प्रयुक्त शब्द में एकवचन क्रमशः सम्मिलित समझे जायेगे।

(3). जिन शब्दो का अर्थ पुलिंग है, उसमें में स्त्रीलिंग एंव उभयलिंग भी सम्मिलित समझे जायेंगे।

2. न्यास का नाम :– इन न्यास को "(जिला का नाम) खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" के नाम से जाना जाएगा एवं इसका कार्यालय जिले के उपायुक्त के कार्यालय में अवस्थित होगा।

3 उद्धेश्य :– जिला खनिज फोउण्डेशन ट्रस्ट का उद्धेश्य खनन क्षेत्र में खनन से प्रभावित व्यक्तियो/परिवारों तथा क्षेत्र के हित–लाभ के लिए योजना का सूत्रण, स्वीकृति व कार्यान्वयन, जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली के अनुसार होगा।

उप विकास आयुक्त

Scanned with CamScanner

4. नियुक्ति एवं घोषणा :– न्यास परिषद का न्यासी

(1) व्यवस्थापक सभी न्यासी को न्यास परिषद का न्यासी नियुक्त करते हैं, जिसका गठन हो रहा है एवं सभी न्यासी यह नियुक्ति निम्न शर्त्तों एवं प्रावधानों के साथ स्वीकार करते हैं।

(2) न्यासी जिन्हें पदनाम से शासी परिषद का न्यासी नियुक्त किया गया है, अपने पद पर बने रहते हुए न्यासी का पद धारित रखेंगे एवं उनके पदमुक्त होने तथा प्रतिस्थानी के आने पर उनके प्रतिस्थानी न्यास परिषद में उनके स्थान पर पदभार लेने के साथ ही स्वतः न्यासी हो जायेंगे।

(3) नामित न्यासी की कार्यावधि नियुक्ति से 03 वर्ष तक की होगी एवं उनके बाद नामित करने वाले प्राधिकार उनके नियुक्ति को अगले कार्यकाल तक नवीकृत या अन्य व्यक्तियों को उन स्थानों पर नामित कर सकेगा, परन्तु ऐसे नामित न्यासी का दो कार्यकाल तीन–तीन वर्षों से अधिक का नहीं होगा।

(4) व्यवस्थापक कभी भी न्यासी की संख्या एवं कोटी में वृद्धि कर सकते हैं, जो उनको उपयुक्त लगे।

(5) व्यवस्थापक कभी भी न्यासी को हटा सकेगे एवं अन्य को न्यासी नियुक्त कर सकेगे। जिस न्यासी को व्यवस्थापक द्वारा हटाया गया है वह निष्कासन की तिथि से अटाये गये समझे जायेंगे।

(6) न्यासी के अधिकार में न्यास का कोष इस न्यास विलेख में दिए गए अधिकार एवं उपबंध के अन्तर्गत रहेगा एवं वे न्यास के कार्यकाल के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं की सम्पत्ति को ग्रहण कर अपने न्यास के कोष में रख सकेगा।

5. **न्यास का प्रबंधन** :– न्यास का प्रबंधन न्यास परिषद के अन्तर्गत रहेगा, जिसमें न्यास के सभी सदस्य सम्मिलित होंगे, परन्तु दिन–प्रतिदिन का प्रबंधन प्रबंधकीय समिति द्वारा यथा कंडिका–9 के प्रावधानों के अनुरूप होगा। व्यवस्थापक, प्रबंधकीय समिति की संरचना को बदलने का निर्णय कभी भी ले सकेगा।

6. **न्यास का निर्णय** :–

(1) न्यासी द्वारा सभी निर्णय न्यास परिषद की बैठक में लिए जायेंगे एवं ऐसी सभी बैठकों को न्यास की बैठक समझा जायगा।

(2) शासी परिषद के सभी निर्णय बहुमत पर सदस्यों की उपस्थिति एवं मत के आधार पर होंगे। मत के बराबरी पर बैठक के अध्यक्ष को विशेष मताधिकार प्राप्त होगा।

(3) बिना व्यवस्थापक के अनुमति के न्यासों द्वारा इस न्यास विलेख के किसी भी अंश को संशोधित नहीं किया जायेगा।

(4) न्यासी, शासी परिषद एवं प्रबंधकीय समिति व्यवस्थापक द्वारा समय–समय पर दिए गए निदेश मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेंगे।

7. **शासी परिषद के अधिकार एवं कृत्य** :–

Scanned with CamScanner

शासी परिषद के सभी न्यासी निम्न कार्यों हेतु उत्तरदायी होंगे :–

(1) शासी के कृत्यो के लिए निर्धारण एवं समय–समय पर कृत्यों की समक्ष एवं वार्षिक कार्ययोजना, बजट का निर्माण एवं अनुमोदन।

(2) वार्षिक कार्ययोजना न्यास परिषद द्वारा आगामी वर्ष के एक माह पूर्व तैयार कर ली जायेगी। वार्षिक कार्य योजना में योजना एवं परियोजना की सूची एवं अनुमोदित प्रावधानों का उल्लेख होगा।

परन्तु यदि किसी कारणवश शासी परिषद द्वारा वार्षिक योजना एवं बजट का निर्माण एवं अनुमोदन नियत समय में नहीं किया जा सके, तब शाषी परिषद के अध्यक्ष कार्ययोजना एंव बजट को तैयार कर अनुमोदित कर सकेंगे। इस प्रकार से विर्निदिष्ट कार्य योजना व बजट न्यासी परिषद द्वारा तैयार एव अनुमोदित समझा जायेगा।

परन्तु अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना तैयार करते समय विगत प्रतिबद्धता एंव देनदारियों का भी मूल्यांकन कर लिया जायेगा। वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए किसी भी परिस्थिति में विगत देनदारियाँ एवं प्रतिबद्धता, आगामी वर्ष में प्राप्त होने वाली रोकड़ से तीन गुणा से अधिक न हो।

(3) यदि व्यवस्थापक द्वारा इस न्यास के उद्धेश्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध न्यास के कोष से कोई व्यय का निर्धारण किया गया है, तो उसका अनुमोदन।

(4) प्रबंधकीय समिति के अनुशंसा को अनुमोदित करना।

(5) न्यास के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा को पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के अन्दर अनुमोदित करना।

8 **शासी परिषद की बैठक :–**

(1) शासी परिषद, जहाँ आवश्यक हो बैठक आयोजित कर सकेगी, परन्तु प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम एक बार अवश्य बैठक करेगी।

(2) शासी परिषद की बैठक के अध्यक्ष के इच्छानुसार बुलायी जा सकेगी।

(3) कुल सदस्यों के 1/3 (एक तिहाई) भाग उपस्थित रहने पर कोरम पूर्ण माना जायेगा।

9 **प्रबंधकीय समिति :– न्यास के मामले/कार्य, प्रबंधकीय समिति द्वारा सम्पन्न कराये जायेंगे एवं इस समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे :–**

प्रबंधकीय समिति :– (Managing committee)

i.	उपायुक्त-	अध्यक्ष
ii.	आरक्षी अधीक्षक-	सदस्य
iii.	उप विकास आयुक्त–सदस्य सचिव	सदस्य
iv.	संबंधित जिलान्तर्गत प्रादेशिक वन प्रमण्डल के वरीयतम वन	सदस्य

Scanned with CamScanner

प्रमण्डल पदाधिकारी–

v. जिला/सहायक खनन पदाधिकारी– सदस्य

vi. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी– सदस्य

vii. जिला पंचायती राज पदाधिकारी– सदस्य

10. प्रबंधकीय समिति की बैठक :– एक वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय समिति की बैठक कम से कम 06 बार अध्यक्ष के निर्णयानुसार की जाएगी।

11. **प्रबंधकीय समिति के अधिकार एवं कृत्य :– प्रबंधकीय समिति**

(1) न्यास के हित को सुरक्षित रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी सतर्कता के साथ करेगी।

(2) संबंधित पट्टेधारियों से अधिनियम के प्रावधानुसार समेकित अंशदान को ससमय जमा कराएगी।

(3) न्यास के कार्यों के मास्टर प्लान/विजन अभिलेख, परियोजना प्रस्ताव एवं स्कीम तैयार करेगी।

(4) वार्षिक योजना एवं बजट के निर्माण में न्यास को सहयोग करेगी।

(5) वार्षिक योजना एवं अनुमोदित परियोजना का पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन करेगी।

(6) परियोजना की स्वीकृति के साथ न्यास कोष की विमुक्ति एवं संवितरण करेगी।

(7) न्यास कोष का संचालन न्यास के नाम बैंक खाता खोलकर, लेखा एवं निवेश का संचालन करेगी।

(8) न्यास कोष के प्रगति का अनुश्रवण करेगी।

(9) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के अन्दर वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा की शासी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(10) न्यास के सफल संचालन हेतु नियम को तैयार/अनुमोदित करेगी।

12. **न्यास कोष :–** (Trust)

जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट में निम्नांकित सम्मिलित होंगी :

(1) व्यवस्थापक द्वारा प्रारम्भिक परिनिर्धारण।

(2) व्यवस्थापक या अन्य एजेन्सी, संस्थान या व्यक्ति से प्राप्त अनुदान, अंशदान या अन्य रकम अदायगी।

(3) अधिनियम की दूसरी अनुसूची मे यथा उल्लेखित स्वामित्व की दर पर खनन पट्टेधारी, सह–खनन पट्टेधारी से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित स्वामित्व दर के प्रतिशत के समतुल्य प्राप्त राशि।

Scanned with CamScanner

(5) न्यास की अन्य सभी सम्पत्ति एवं आय, जो पूँजी वृद्धि से प्राप्त हुई हो।

13. **न्यास कोष का संचालन :–** न्यास के नाम से, एक या अधिक अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंकों, में खाता खोलकर रखा जा सकेगा, जिसका संचालन सदस्य सचिव एवं प्रबंधकीय समिति के अन्य सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रबंधकीय समिति के प्राधिकृत करने के उपरांत किया जा सकेगा। न्यास इस कोष की लेखा विवरणी का रख रखाव करेगी।

14. **न्यास कोष से खर्च :–**

न्यास के पास उपलब्ध कोष से निम्नांकित व्यय किया जा सकेगा :–

(1) खनन संबंधित कार्यों के कारण जिले के प्रभावित क्षेत्रों में न्यासी द्वारा तैयार वार्षिक कार्य योजना के अनुसार सामाजिक आर्थिक उद्धेश्य की पूर्ति हेतु समेकित विकास का कार्य।

(2) स्थानीय सामाजिक आर्थिक उद्धेश्य की पूर्ति हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण।

(3) खनन प्रभावित क्षेत्र में समुदायिक आस्तियों एवं सेवाओं को स्थानीय आबादी को मुहैया कराना व उनका अनुरक्षण एवं उन्नयन करना।

(4) स्वरोजगार व रोजगार सृजन के उद्धेश्य से कौशल एवं क्षमता विकास हेतु प्रेशिक्षण संचालित करना, परन्तु कुल प्राप्त वार्षिक कोष के 6 प्रतिशत से अधिक राशि का व्यय न्यास द्वारा प्रशासनिक या स्थापना खर्च में नहीं किया जाएगा.

परन्तु, न्यास कोष से किसी प्रकार का अग्रिम या नकद अनुदान किसी भी लाभुक को नहीं दिया जाएगा।

15. **खर्च का अवमार :–**

निम्नांकित खर्च न्यास के कोष से किए जा सकेंगे :–

(1) न्यास के कार्य या संचालन में कुल खर्च, जिससे वसूली एवं निवेश के हित लाभ साधे गये हो।

(2) न्यासी द्वारा कोई संसाधन या अंशदान प्राप्त करने में हुए खर्च (एकरारनामा या विलेखों के निष्पादन निबंधन मे हुए प्रारम्भिक व्यय)।

(3) विधिक कार्यवाही में उत्पन्न खर्च, जो न्यासी द्वारा या विरूद्ध हुए हो, से संबंधित व्यवसायिक शुल्क एवं विधिक परामर्शी का खर्च।

(4) सभी वैधानिक एवं कानूनी व्यय जो न्यास के संचालन में हुये हों, यथा शुल्क, उद्ग्रहण, अन्य खर्च सहित।

(5) [redacted] व्यय।

Scanned with CamScanner

16. लेखा एवं अंकेक्षण :–

1. (i) (क) प्रबंधकीय समिति द्वारा लेखा विवरणी, दस्तावेजों व अभिलेखों का संधारण किया जाएगा, जिससे न्यास कोष की सही एवं स्वच्छ स्थिति प्रदर्शित हो।

(ख) एक वर्ष की समाप्ति के उपरांत योग्य अंकेक्षक द्वारा न्यास के लेखों का अंकेक्षण किया जाएगा।

(ii) न्यासी द्वारा महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत अेंकक्षण की सूची में से शासी परिषद की बैठक में जैसी शर्तें एवं प्रावधान, न्यासी तय करेंगे के अनुसार अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकेगा।

(iii) अंकेक्षक को न्यासी द्वारा हटाया एवं परिवर्तित किया जा सकेगा।

2. उपरोकत कंडिका–1 में होते हुए भी व्यवस्थापक किसी अंकेक्षक को नियुक्त कर सकेगा या महालेखाकार द्वारा अंकेक्षक नियुक्त कराकर किसी वर्ष या अवधि का अंकेक्षण जिस शर्तों पर कराना चाहे, उसे कराने का निर्णय ले सकेगा।

3. न्यास अपने आगामी वर्ष का आय–व्ययक, योजना, परियोजना एवं स्कीम की अनुमोदित प्रतियाँ जिला पंचायत/जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार (खान एवं भूतत्व विभाग, योजना विभाग) के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजेगा।

4. प्रत्येक तिमाही के समाप्ति के 45 दिनों के अन्दर न्यास द्वारा अनुमोदित परियोजना आदि की भौतिक एव वित्तीय उपलब्धियां जिला पंचायत, जिला प्रशासन को अविलम्ब वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु भेज दी जाएगी।

5. वित्तीय वर्ष समाप्ति के 60 दिनों के अन्दर न्यास द्वारा न्यास परिषद से अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन को जिला पंचायत, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के वेबसाईट में प्रकाशनार्थ भेज दिया जाएगा।

17. प्रशासनिक व्यवसथाएँ :–

(1) राज्य सरकार अपने नियंत्राधीन कार्यरत कर्मियों (जिला पंचायत में कार्यरत कर्मी सहित) की सेवा न्यास के प्रबंधन एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करायेगी।

(2) न्यास परिषद व्यवस्थापक/राज्य सरकार के यथेष्ट संख्या में मुख्य कर्मी अपने किसी विभाग या जिला परिषद या अन्य संवर्ग से प्रशासनिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए देने का अनुरोध कर सकेगी। इन प्रतिनियुक्ति कर्मियों की सेवा अपने मूल संवर्ग में ही रहेगी। न्यास इस कार्य के निमित अधिकतम 3 प्रतिशत का खर्च वहन कर सकेगी (यह 3 प्रतिशत कंडिका 14 (4) में किए गए 6 प्रतिशत के अधीन होगा)।

(3) न्यास किसी सेवा प्रदाता से न्यास को सुचारू ढ़ंग से क्रियान्वित करने के निमित ऐसी सेवा ले सकेगी एवं आकस्मिक खर्च से इस कार्य का वहन कर सकेगी।

18. न्यासी का दायित्व :

Scanned with CamScanner

(1) न्यासी ऐसे किसी कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, जो पूरे सदभाव, अधिकार एवं सतर्कता से किया गया हो। किसी बैंक, दलाल, अभिरक्षक या अन्य व्यक्ति जिनके पास नेक नियत से न्यास का कोष रखा गया हो, के गलती या निवेश के अपर्याप्त होने पर या अनैच्छिक हानि के लिए वह जिम्मेवार नही होगा।

(2) सभी न्यासी एवं एटर्नी, एजेन्ट, जिसे न्यास द्वारा नियुक्त किया गया हो, को न्यास कोष से सभी दायित्व, हानि, कार्य को करने की क्षतिपूर्ति की जाएगी, वशर्ते ऐसे कार्यो को छोड़कर जो लापरवाही अथवा कदाचार से किए गए हो परन्तु ऐसी क्षतिपूर्ति किसी भी परिस्थिति में कुल प्राप्त अंशदान से अधिक नहीं होगी।

19. **न्यासी का पारिश्रमिक :–**

न्यासी द्वारा दिए गए सेवा के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

20. **संशोधन :–**

व्यवस्थापक / राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस विलेख को संशोधित किया जा सकेगा।

21. **न्यास की मोहर :–**

शासी परिषद की बैठक में न्यासी द्वारा न्यास की मोहर की स्वीकृति एवं समय–समय पर उसे नष्ट या नये रूप से प्रतिस्थापित किया जा सकेगा। प्रबंधकीय समिति के अध्यक्ष के पास न्यास की मुहर रहेगी एवं वे इसका न्यास के स्थान पर व्यवहार कर सकेंगे।

22. **प्रतिसंहरित :–** व्यवस्थापक के विवेक एवं स्वेच्छा से न्यास को प्रतिसंहरित किया जा सकेगा। न्यास उस अवधि तक कार्य कर सकेगा, जैसा व्यवस्थापक द्वारा विर्निदिष्ट किया जाएगा। न्यास की समाप्ति के उपरांत सभी आस्तियाँ एवं देनदारी राज्य सरकार में हस्तांतारित हो जाएगी।

राज्य सरकार के वास्ते हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

1|9|7|16
उप विकास आयुक्त
-सह-
सदस्य सचिव, रामगढ़

दिनांक :

संयुक्त / ... सचिव
खान एवं भूतत्व ...
झारखण्ड, राँची।

मो० एकरामुल हक
दस्तावेज लेखक
ला० नं०–23/20.., रामगढ़

...लाल राम
...जगदेव राम

(10)

निबंधन विभाग, झारखंड

जांच पर्ची-सह घोषणा प्रपत्र (नियम 114)

Token Date/Time: 16/03/2016 11:55:50

Document Type	Trust	Presenter	Mines And Geology Department Jharkhand Ranchi
Presenter Name & Address	Ranchi Jharkhand		
Chargeable Doc Value	0	Date of Entry	16/03/2016
Current Transaction Value	0	DOE	
Special Type		Total Pages	26
		Stamp Value	100
		Book	IV
Remarks / Other Details		Serial No.	
		CNO/PNO	-
Property Details:		Old Serial No. / App. ID	
		e-Stamp Cert. No.	IN-JH02282965704450O

Anchal	Th.No.	Wrd/Hlk	Mauza	Kh. No.	Plot No	Plot Type	Boundary North	Boundary South	Boundary East	Boundary West	H No	Category	Area	Min. Value

Other Property Details:

Property Type	Th. No.	Wrd	Mauza	Location	Area	Rate	Amount

Party Details

P Type	Party Name	Father/Husband	Occup.	Relation	Caste	Gender	PAN/F60	UID	Mobile	Pres. Address	Perm. Address
Trustator	Mines And Geology Department Jharkhand Ranchi	Na	Na							Ranchi Jharkhand	Ranchi Jharkhand
[illegible]	Kishor Kumar [illegible] Ramgarh	Na	Na							Ramgarh Cantt Ramgarh	Ramgarh Cantt Ramgarh
Identifier	Ashok Kumar Acharya	Baidh Nath Acharya	Service	पिता	ब्रहमण	Male				District Mining Office Ramgarh	District Mining Office Ramgarh
Witness1	Anil Ram	Late Jagdeo Ram	Pvt. Service	पिता	दोस	Male				D.D.C Office Ramgarh	D.D.C Office Ramgarh

Fee Details

Description	Amount	CHC	Net Amount
E	2,000.00	20.00	2,020.00
SP	390.00	0.00	390.00
A1	30.00	10.00	40.00
	2,420.00	30.00	2,450.00

अशोक कुमार आचार्य

प्रविष्टियां दस्तावेज में अंकित तथ्यों के अनुरूप है।

Md. E Haque 16/03/16
दस्तावेज लेखक का हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता का हस्ताक्षर

उपरोक्त सारांश में इनपुट फार्म के अनुरूप डाटा इंट्रि की गई है।

Mines & Geology Department, Jharkhand, Ranchi डाटा इंट्रि ऑपरेटर का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि व श्री किशोर कुमार, DDC, Ramgarh ने इस दस्तावेज के निष्पादन को मेरे समक्ष स्वीकार किया। अशोक कुमार आचार्य पिता बैद्यनाथ आचार्य डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिस, रामगढ़ पेशा नौकरी ने की।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

19

Token 11:56:21 AM

...ter/Executant's Name	Thro Mines And Geology Ranchi Jha
...en For	Registry
...nter No	1
...ine Application ID (If Any)	Verify On-line Payment
Stamp Certificate No. (If Any)	IN-JH022829657044500 Verify

Issue Token

...022829657044500
...p Details For Verification. Please click issue after verification

...ficateNo:	IN-JH022829657044500
...ficateIssuedDate:	09-Feb-2016 05:20 PM
...untReference:	NONACC (BK)/ jhbobbk02/ RAMGARH/ JH-RG
...DocReference:	SUBIN-JHJHBOBBK02029186681993410
...sedby	JOINT SECRETARY MINES AND GEOLOGY RANCHI JHARKHAND
...riptionofDocument	Article 5 Agreement or memorandum of an Agreement
...pertyDescription	AGREEMENT
...siderationPriceRs.	100
...Party	JOINT SECRETARY MINES AND GEOLOGY RANCHI JHARKHAND
...condParty	D D C RAMGARH
...mpDutyPaidBy	JOINT SECRETARY MINES AND GEOLOGY RANCHI JHARKHAND
...ampDutyAmountRs:	100

...aximum Token Issue Time : 2 PM

Scanned with CamScanner

(18)

निबंधन विभाग, झारखंड

Token Date: 16/03/2016 11:55:50
Deed No./Year :556/17/2016
Type: Trust

Party Details	Photo	Thumb
Mines And Geology Department Jharkhand Ranchi Father/Husband Name:Na (Trustator) Ranchi Jharkhand	[x]	[x]
Kishor Kumar, D.D.C Ramgarh Father/Husband Name:Na (TRUSTEE) Ramgarh Cantt Ramgarh		
Ashok Kumar Acharya Father Husband Name:Baidh Nath Acharya (Identifier) District Mining Office Ramgarh		
Anil Ram Father/Husband Name:Late Jagdeo Ram (Witness1) D.D.C Office Ramgarh	[x]	[x]

No. IV
ume 1
487 To 512
No 556/17
2016
16/03/2016 15:48:39

Registering Officer

16/3/16 जिला अवर निबंधक रामगढ़

Signature of Operator

Scanned with CamScanner